# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या/145/2023(GCMS : 2023/312)

भारतीय स्टेट बैंक , कृषि विकास शाखा, श्रीकरणपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अशीष गुप्ता पुत्र श्री महेश चन्द्र गुप्ता, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (SARB) तृतीय तल, मेट्रीक्स मॉल, जवाहर नगर, जयपुर (राज.)

बनाम

मैसर्स दलीप सिंह एण्ड संस जरिये प्रोपराईटर श्री चरणजीत सिंह जोशन पुत्र श्री सविन्द्र सिंह मार्फत दुकान नं. 4, ए–ब्लॉक, नई धान मण्डी, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.) 335073 निवासी गांव 49–एफ, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.11.2023

**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी मैसर्स दलीप सिंह एण्ड संस –प्रो. चरणजीत को ऋण सुविधा के रूप में राशि 24,90,000/–रूपये (अखरे रूपये चौबीस लाख नब्बे हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 20.02.2020 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी मैसर्स दलीप सिंह एण्ड संस द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति दुकान नं. 4, नई धानमंडी, (दुकान व गोदाम का क्षेत्रफल 25' गुणा 80' व प्लेटफार्म का क्षेत्रफल 25' गुणा 50फ कुल क्षेत्रफल 25' गुणा 130'= 3250 वर्गफुट) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

**मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14,** शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी मैसर्स दलीप सिंह एण्ड संस को ऋण सुविधा के रूप में 24,90,000/–** रूपये (अखरे रूपये चौबीस लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) **की राशि की स्वीकृति दिनांक 20.02.2020 को** प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मैसर्स दलीप सिंह एण्ड संस ने अपनी **अचल सम्पत्ति दुकान नं. 4, नई धानमंडी, (दुकान व गोदाम का क्षेत्रफल 25' गुणा 80' व प्लेटफार्म का क्षेत्रफल 25' गुणा 50'**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:47:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कुल क्षेत्रफल 25' गुणा 130'= 3250 वर्गफुट), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 30.05.2022 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को प्रार्थना पत्र अनुसार धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 07.06.2022** को जारी कर दिनांक 10.06.2022 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, **जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

**वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

**जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी मैसर्स दलीप सिंह एण्ड संस द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति दुकान नं. 4, नई धानमंडी, (दुकान व गोदाम का क्षेत्रफल 25' गुणा 80' व प्लेटफार्म का क्षेत्रफल 25' गुणा 50' कुल क्षेत्रफल 25' गुणा 130'= 3250 वर्गफुट), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

**जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2)** [illegible] जा[illegible] नोटिस 07.06.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक [illegible]06.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, **अप्रार्थीगण दिनांक 10.06.2022 को**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:47:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थी के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मैसर्स दलीप सिंह एण्ड संस द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी मैसर्स दलीप सिंह एण्ड संस **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अपनी अचल सम्पत्ति दुकान नं. 4, नई धानमंडी, (दुकान व गोदाम का क्षेत्रफल 25′ गुणा 80′ व प्लेटफार्म का क्षेत्रफल 25′ गुणा 50′ कुल क्षेत्रफल 25′ गुणा 130′= 3250 वर्गफुट), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील, शामिल दफ्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 28.11.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:47:30 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर